N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0210 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/09/2024 18:26 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 20/09/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:26 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/09/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/09/2024 18:26:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** rajkiye bhartiya hospital, churu

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** samim bano

(b) **Wife's Name (पत्नी का नाम):** gulam husain

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | usmanabad colony, CHURU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | usmanabad colony, CHURU, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sumer singh | | पिता:late sultan singh | 1. dhilsar,JHUNJHUNU,RAJASTHA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 10,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू। विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं शमीम बानो पत्नी गुलाम हुसैन निवासी उस्मानाबाद चूरू बस डिपो के पास रहती हूं। मेरी लड़की फिरदोस पत्नी नवाब की शादी सुजानगढ राजा जी की कोठी के पास करीब 7-8 साल पहले की थी। फिरदोस की यह दुसरी निकाह थी, पहली वाली शादी से फिरदोस के एक लड़की करीब 15 साल उसके साथ है । मैनें फिरदोस के पहली शादी में एक सोने का हार करीब 1.5 तोला का डाला था। वही हार मैनें फिरदोस को इस दुसरे निकाह के साथ में, जो फिरदोस की पहली बच्ची थी उसके नाम से दिया था। फिरदोस का आदमी विदेश भेजने के केस में जेल गया था। जेल से छुटने के लिये उसने वकील वगैरा के खर्चा के लिये मैनें जो हार मेरी छोरी को डाला था वह नवाब ने गिरवी रखकर या बेचकर उसके पैसे उठाये थे, अब नवाब व मेरी लड़की मेरा नाम लगाकर वह हार मेरे पास होना बताकर मेरे से हार के लिये काफी समय से झगड़ा फसाद कर रहे है। नवाब ने करीब दो महिने पहले मेरे खिलाफ शहर थाने में वह सोने का हार मेरे पास होने की रिपोर्ट कराई है। जो रिपोर्ट की जांच शहर थाने के थानेदार सुमेर सिंह के पास है। 2 महिने पहले सुमेर सिंह हमारे घर पर आया और कहा कि नवाब ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कराई है। कि उसकी बीबी का सोने का हार तुम्हारे पास है। मैनें सुमेर सिंह जी को कहा कि मैनें तो वह हार नवाब की मां को जब नवाब जेल में था तब ही दे दिया था। तब सुमेर सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है और तुम्हारे को टाईम दे रहा हूं वह हार व फाईल का खर्चा लेकर मेरे पास सुजानगढ थाने पर आ जाना नहीं तो उठाकर ले जाउंगा और बंद कर दूंगा। दिनांक 30.08.2024 को जुम्मे के दिन मेरे पास सुमेर सिंह का फोन आया और उसने मुझे कहा कि तुम आकर मिली नहीं, तुम्हें तुम्हारा मुकदमा खत्म नहीं करवाना क्या। तब मैनें कहा कि साहब वह हार मेरे पास नहीं है मैं कहां से लाउं। तब सुमेर सिंह ने कहा कि तुम मुझे 50 हजार रुपये लाकर दे दो मैं अपने आप ही फाईल बंद कर दूंगा, तब मैनें कहा कि इतने रुपये मेरे पास कहां से आयेगें, मैं तो शादी ब्याह में बर्तन वगैरा मांझकर मेरा घर चला रही हूं तब सुमेर सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता फाईल बंद करानी है तो 50 हजार रुपये लेकर सोमवार मंगलवार तक थाने पर आ जाना। सुमेर सिंह मेरे से बिना वजह मुकदमें का डर दिखाकर मेरे से रिश्वत लेना चाह रहा है। मैं मेरी जगह सही हूं और मेरे पास मेरी लड़की का हार सोने का नहीं है। फिर भी सुमेर सिंह मेरे से फाईल बंद करने के नाम से रुपये लेना चाह रहा है। मैं उसको रुपये नहीं देना चाहती हूं। और उसको रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरा सुमेर सिंह से कोई लेन देन बकाया नहीं है। और मेरी सुमेर सिंह से कोई रंजिश नहीं है। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही करें। दिनांक 03.09.2024 एसडी युनस, अंगूठा निशानी शमीम, शमीम बानो पत्नी गुलाम हुसैन नाई उम्र 45 साल निवासी उस्मानाबाद डिपो के पास चूरू (राज.) मो0न0 [redacted], एसडी दीपेश कुमार कार्यवाही पुलिस उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्रीमती शमीम बानो पत्नी गुलाम हुसैन नाई उम्र 45 वर्ष निवासी उस्मानाबाद नये बस डीपो के पास चूरू ने मय अपने भाई युनुस काजी पुत्र मंगतु काजी उम्र 60 वर्ष निवासी उस्मानाबाद डीपो के पास चूरू ने पेश की एवं बताया कि यह रिपोर्ट मैनें कानि. दीपेश कुमार से लिखवाई है और जैसा मैनें बताया है वैसे दीपेश कुमार ने लिखी है। रिपोर्ट पढकर सुनाई जिसे शमीम बानो व युनुस काजी ने उनके द्वारा बताये अनुसार ही सही लिखी होना बताया। परिवादिया ने दरयाफ्त पर बताया कि सुमेर सिंह ने मुझे यह नहीं बताया कि क्या मुकदमा दर्ज है और ना ही कोई रिपोर्ट कागज मुझे देकर गया। मजमून रिपोर्ट व ताईद रिपोर्ट तथा दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। रिश्वत मांग सत्यापन प्रक्रिया हेतु शमीम व युनुस को समझाईश की गई तो शमीम ने बताया कि मेरे साथ थानेदार से वार्ता करने के लिये मेरी लड़की अफसाना भी साथ जायेगी। उपस्थित कानि. दीपेश कुमार का शमीम बानो से परिचय कराकर सत्यापन प्रक्रिया से अवगत कराकर कार्यालय के वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब देते हुए शमीम बानो व दीपेश कुमार को वक्त 11.30 एएम पर रवाना किया गया । वक्त 12.30 पी.एम. पर कानि. दीपेश कुमार हाजिर चौकी आया व वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि चौकी से रवाना होकर परिवादिया अपनी पुत्री को लेने के लिये मुझे अपने घर उस्मानाबाद कॉलोनी चूरू लेकर गई। परिवादिया ने घर पर बात कर कहा कि आज उसे आवश्यक कार्य है ट्रेन भी निकल गई है इसलिए कल सुबह ट्रेन से सुजानगढ जाकर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लेगें। दिनांक 04.09.2024 को वक्त 08.00 एएम पर कानि. दीपेश कुमार को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादिया शमीम बानो से सम्पर्क कर उसके साथ सुजानगढ पहुंच आरोपी से रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता करने के लिये रवाना किया गया। शाम 06.00 पीएम पर कानि दीपेश कुमार हाजिर चौकी आया व रिकॉर्ड वार्ता कर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि सुजानगढ कोतवाली के पास पहुंच मैनें वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादिया शमीम बानो को सुपुर्द कर आरोपी से वार्ता करने के लिये उसकी पुत्री सहित थाने में भेजा गया। करीब डेढ घंटा बाद परिवादिया व उसकी पुत्री थाने से बाहर फोटो खिंचवाने आये। परिवादिया ने वॉईस रिकॉर्डर मुझे दिया जो मैनें बंद किया। फोटो लेकर परिव्रादिया वापस थाने में गई तब मैनें वॉईस रिकॉर्डर पुनः चालु कर उसे सुपुर्द कर दिया। करीब आधी घंटा बाद परिवादिया व उसकी पुत्री वापस मेरे पास आये व वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैनें बंद कर पूछा तो उसने बताया कि आरोपी थानेदार से रिश्वत के सम्बन्ध में उसकी बात हो गई है 4,000 रुपये उसने ले लिये है तथा 14,000 रुपये खर्चे के और लाने के लिये कहा है। इस पर उसने कहा कि रुपयों की व्यवस्था कर 05-07 दिन में सम्पर्क कर लेगी। परिवादिया व उसकी पुत्री को सुजानगढ छोड़ मैं चौकी आ गया। कानि. द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा वार्ता के दौरान 4,000 रुपये प्राप्त करना एवं 14,000 रुपये रिश्वत के और मांग करने की पुष्टि हुई। आइन्दा परिवादिया को तलब कर फर्द टांसस्क्रिप्ट तैयार करने के लिये वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 10.09.2024 को परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री अफसाना के हाजिर चौकी आने पर दिनांक 04.09.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को कानि. राकेश कुमार से लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर परिवादिया, उसकी पुत्री व कानि. दीपेश कुमार के समक्ष सुना गया तो सत्यापन वार्ता मेमौरी कार्ड में रिकार्ड नहीं होकर वॉईस रिकार्डर के मेमौरी में रिकार्ड हुई है जिसे सुन-सुन कर वार्ता की फर्द टांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को एक पेन ड्राईव में डाउनलोड किया गया तथा पेन ड्राईव से वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर पेन ड्राईव को एक कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क ए तथा एक डीवीडी को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क ए-1 अंकित कर तथा एक डीवीडी को खुला रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव व डीवीडी को जरिये हैडकानि. जमा मालखाना करवाया गया। परिवादिया शमीम बानो ने रिश्वती राशि के बारे में बताया कि 08-10 दिन में रुपयों की व्यवस्था होते ही वह सम्पर्क कर लेगी। इस पर परिवादिया व उसकी पुत्री को रूखसत दी गई। दिनांक 12.09.2024 को दोपहर में परिवादिया शमीम बानो ने जरिये मोबाईल उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रुपये की ही व्यवस्था हुई है इस पर परिवादिया को आवश्यक हिदायत की गई। ट्रेप के आयोजन हेतु स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु कोषाधिकारी चूरू के नाम तहरीर जारी कर हैडकानि. आबिद खान के जरिये दो सरकारी कर्मचारी श्री राकेश सिंह सहायक लेखाधिकारी व श्री सवाई सिंह कनिष्ठ सहायक को तलब किया गया। दोनों कर्मचारियों को दिनांक 13.09.2024 को सुबह उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई। दिनांक 13.09.2024 को वक्त 07.30 ए.एम. पर परिवादिया शमीम बानो अपनी पुत्री अफसाना के साथ एवं पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों सरकारी कर्मचारी राकेश सिंह व सवाई सिंह हाजिर चौकी आये। परिवादिया ने बताया कि रिश्वत राशि में उससे 10,000 रुपये की ही व्यवस्था हुई है जो साथ लेकर आई है। दोनों सरकारी कर्मचारियों को परिवादिया शमीम बानो द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती प्राप्त कर दोनों का परिवादिया से परिचय करवाया गया एवं परिवादिया की रिपोर्ट एवं सत्यापन वार्ता के तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसे परिवादिया ने सही होना बताया। वक्त 08.15 एएम पर परिवादिया श्रीमती शमीम बानो ने पुलिस उप अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले दस हजार रूपये के नोट पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार से हैः- 1- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6RK 211748 2- 1AV 025357 3- 2UA 390533 4- 9AC 563855 5- 5KQ 066422 6- 6FV 937947 7- 3GE 404498 8- 9VC 975843 9- 6CM 476492 10- 7UT 983329 11- 8BL 515098 12- 8EU 257150 13- 2TQ 794509 14- 1WT 647970 15- 7UB 069144 16- 6MW 002898 17- 5UE 466119 18- 1NE 888263 19- 3SR 337336 20- 5FK 061888 उक्त नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादिया श्रीमती शमीम बानो के पास उसके पर्स में उक्त पाउडर युक्त रिश्वती राशि प्रवीण कुमार से रखवाकर पर्स बंद कर पर्स परिवादिया को सुपुर्द कर हिदायत दी कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर अपने पर्स से राशि निकाल कर उसे देवे। रिश्वत राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करें। रिश्वत लेन-देन के पश्चात सुविधानुसार ईशारा करें। दोनों गवाहों को आवश्यक निर्देश दिये गये। श्री प्रवीण कुमार कानि. के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में डूबोकर धुलवाया जाकर परिवादिया व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को डिस्पोजल गिलास सहित जलाकर नष्ट किया गया। प्रवीण कुमार कानि व ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। परिवादिया शमीम बानो को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपूर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 09.15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री अफसाना, दोनों गवाह राकेश सिंह व सवाई सिंह तथा चौकी का जाप्ता श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री गिरधारी सिंह

सहायक उप निरीक्षक, श्री आबिद खान व श्री कृष्ण सिंह हैडकानि., श्री राकेश कुमार, श्री दीपेश कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री बसन्त सिंह व रिपेन्द्र सिंह कानिगण तथा प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर मन् मेरे निजी वाहन एवं प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूए 2685 मय चालक दीपक कुमार के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना सुजानगढ के लिए हुआ। श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त 10.45 ए.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित कस्बा सुजानगढ में पुलिस थाना कोतवाली के पास स्थित स्कूल के पास पहुंचे। गाड़ियों को साईड में खड़ा कर परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री अफसाना को आवश्यक हिदायत कर पुलिस थाना कोतवाली में आरोपी से सम्पर्क करने रवाना कर उप अधीक्षक पुलिस गवाहान व ट्रेप दल सदस्यों के कोतवाली के आस-पास ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए। करीब आधा घंटा बाद परिवादिया शमीम बानो अपनी पुत्री के साथ बिना ईशारा किये ही कोतवाली थाना से बाहर आकर मन् उप अधीक्षक के पास आकर बताया कि थाने में सुमेर जी थानेदार का पता किया तो वह छुट्टी पर गांव जाना बताया है। इस पर परिवादिया व उसकी पुत्री तथा जाप्ते को गाड़ियों में बैठाकर वापस रवाना चूरू की तरफ हुआ। कस्बा सुजानगढ से बाहर आकर परिवादिया शमीम बानो की आरोपी सुमेर सिंह के मोबाईल पर बात करवाई तो वार्ता कर परिवादिया ने बताया कि थानेदार जी के पिता की मृत्यु हो जाने से वह छुट्टी पर है। 21 तारीख को थाने पर जाएगा। उसने कहा कि 17 तारीख को चूरू आउंगा तब सम्पर्क कर लूंगा। इस पर मैं उप अधीक्षक पुलिस हमराहियान को साथ लेकर चौकी चूरू पहुंचा। रिश्वती राशि 10,000 रुपये का पर्स परिवादिया से वापस लेकर सुरक्षित रखा गया। परिवादिया को हिदायत दी कि आरोपी द्वारा सम्पर्क करने की कहने पर तुरन्त ही वह चौकी पर सम्पर्क करे। परिवादिया व दोनों गवाहों को पूर्ण गोपनियता रखने की हिदायत कर बाद आवश्यक निर्देश रूखसत दी गई। दिनांक 18.09.2024 को परिवादिया शमीम बानो ने सम्पर्क कर बताया कि सुमेर सिंह थानेदार का फोन आया है उसने परसों बीस तारीख को चूरू आने तथा रुपये लेने की बात कही है, इस पर शमीम बानो को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 20.09.2024 को वक्त 09.30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादिया शमीम बानो अपनी पुत्री अफसाना के साथ एवं दोनो गवाह राकेश सिंह व सवाई सिंह हाजिर चौकी आये। परिवादिया ने आरोपी से हुई वार्ता के तथ्य बताते हुए कहा कि अभी थोड़ी देर पहले सुमेर जी का फोन आया जिसने कहा कि मैं सुजानगढ जाउंगा, अभी चूरू आ रहा हूं मुझे मिलना, मुझे रुपयों की आवश्यकता है इस पर उसने कहा कि वह भरतीया अस्पताल में मिलेगी। दिनांक 13.09.2024 को परिवादिया से प्राप्त रिश्वती राशि 10,000 रुपये को पर्स में प्रवीण कुमार कानि. से सम्भलवाकर रिश्वती राशि का पर्स परिवादिया को सुपुर्द किया एवं लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर कानि. दीपेश कुमार को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि अस्पताल के पास पहुंचने पर परिवादिया को वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द करें। वक्त 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री अफसाना, दोनो गवाह राकेश सिंह व सवाई सिंह तथा चौकी के जाप्ता श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., श्री आबिद खान व श्री कृष्ण सिंह हैडकानि., श्री राकेश कुमार, श्री दीपेश कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री बसन्त सिंह व श्री रिपेन्द्र सिंह कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक सुरेन्द्र सिंह तथा निजी मोटर साईकिलों से वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना भरतीया अस्पताल चूरू के लिये होकर भरतीया अस्पताल चूरू के मुख्य गेट के पास पहुंच परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री को अस्पताल के गेट के पास स्थित डेयरी बूथ पर आरोपी का इंतजार करने रवाना किया। मैं उप अधीक्षक दोनो गवाहान व जाप्ते के डेयरी बूथ के आस-पास अस्पताल परिसर के अन्दर बाहर ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। वक्त 10.26 एएम पर डेयरी बूथ के आगे बैठी परिवादिया की पुत्री अफसाना द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को निर्धारित ईशारा करने एवं मन् उप अधीक्षक दोनो गवाहान सहित रिश्वत राशि का लेन देन देखने पर तुरन्त ही गवाहो व जाप्ते को साथ लेकर परिवादिया के पास पहुंचा। परिवादिया ने अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुमेर सिंह थानेदार जी है जिन्होनें मेरे से 10,000 रुपये रिश्वत के लेकर गिन कर अपनी शर्ट की जेब में रखे है। इस पर उस व्यक्ति ने पूछने पर एकदम से घबराकर अपना नाम सुमेर सिंह स.उ.नि. पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ बताया तथा शमीम बानो से कोई रिश्वत लेना नहीं बताया। परिवादिया ने बताया कि सुमेर सिंह ने मेरे से लिये रुपये अपनी शर्ट की जेब में गिनकर रखे है। परिवादिया शमीम बानो से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया गया तथा निर्देशानुसार सुमेर सिंह के दांए व बांए हाथ को क्रमशः रिपेन्द्र सिंह व श्रवण कुमार कानि. ने कलाईयों से पकड़ लिये। उक्त पूछताछ तक घटनास्थल अस्पताल परिसर होने के कारण भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई, इसलिए सुरक्षित ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी सुमेर सिंह को दोनों हाथ पकड़े-पकड़े गाड़ी में बैठाकर मैं उप अधीक्षक मय गवाहान, परिवादिया व जाप्ते के अस्पताल के पास स्थित पुलिस थाना सदर चूरू पहुंच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। ट्रेप बॉक्स से दो डिस्पोजल गिलास लेकर उनमें साफ पानी भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सुमेर सिंह स.उ.नि. के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सुमेरसिंह स.उ.नि.के बायें हाथ की अंगूलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास

के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। मन् उप अधीक्षक के निर्देष पर गवाह श्री राकेश सिंह ने आरोपी सुमेर सिंह की पहनी शर्ट की जेब की तलाशी ली तो जेब में 500-500 रूपये के नोट पाये गए। उक्त नोटों को निकाल कर गिनकर गवाह ने 10,000 रूपये होना बताया। बरामद रिश्वत राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 के लिए टीशर्ट की व्यवस्था करवाकर उसके पहनी शर्ट बरंग नीला चैकदार को उतरवाकर इसके सामने की बांयी जेब को उलटवाकर प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क S-1, S-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 की उक्त शर्ट बरंग की जेब को सुखाकर शर्ट को धागे में सील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क S-3 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट पेकैट को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 से परिवादिया शमीम बानो के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ में दर्ज प्रकरण के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि फिरदौस पत्नी नबाब निवासी सुजानगढ द्वारा शमीम बानो व दो अन्य के खिलाफ धारा 420,406,120बी भादस में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। दिनांक 04.09.2024 को शमीम बानो मेरे पास सुजानगढ थाने में आई थी, उस दिन मैनें पूछताछ नोट तैयार किया था तथा शमीम को कहा कि 15-20 हजार रूपये तेरी बेटी फिरदौस व उसके पति को दे दे जिससे वह मुकदमें में राजीनामा कर ले तब शमीम ने मुझे कहा कि मैं 10,000 रूपये दे दूंगी परन्तु आपके मार्फत ही दूंगी। पूछताछ के बाद शमीम थाने से चली गई व मैं मेरे पिताजी की मृत्यू होने पर अवकाश लेकर गांव चला गया। आज मुझे बाद अवकाश थाने पर जाना था परन्तु सुबह शमीम का मेरे पास फोन आया व कहा कि आप सुजानगढ जा रहे हो तो चूरू अस्पताल में आकर मेरे से मेरी बेटी फिरदौस को देने के लिये 10,000 ले जाना, इसलिए मैं अस्पताल परिसर में बने डेयरी बूथ पर शमीम के पास आया तो बात करते-करते शमीम ने मुझे 10,000 रूपये अपनी बेटी फिरदौस को देने के लिये दिए जिन्हे मैनें गिनकर अपनी जेब में रख लिये। इस पर हाजिर परिवादिया शमीम बानो ने पुछने पर बताया कि मेरी बेटी फिरदौस ने मेरे, मेरे पति व छोटी बेटी के खिलाफ सुजानेगढ थाने में हार चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें तफ्तीश के लिये सुमेर जी ने मुझे थाने पर बुलाया व पूछताछ की थी। मैनें कहा कि फिरदौस भी मेरी बेटी है, मैं उसका हार क्यों रखूंगी तो थानेदार जी ने कहा कि तूं मुझे 20,000 रूपये खर्चे के दे दे, इस मुकदमें को मैं रफा-दफा कर दूंगा। उस दिन मेरे पास 4000 रूपये थे जो मैनें थानेदार जी के मांगने पर इनको दे दिये। तब थानेदार जी ने कहा कि 4000 रूपये आ गये है अब तूं 14,000 रूपये मुझे और दे देना, मुकदमें में तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। परसों 18 तारीख को थानेदार जी का मेरे पास फोन आया व कहा कि मैं शुक्रवार को चूरू आउंगा तब तुम्हारे से रूपये ले लूंगा। आज सुबह सुमेर सिंह थानेदार जी ने मुझे फोन कर कहा कि पैसे तैयार रखना, मैं सुजानगढ जाते वक्त चूरू में तुझे मिलूंगा, तो मैनें कहा कि ठीक है मैं आपको चूरू सरकारी अस्पताल में मिल जाउंगी। अस्पताल में मैं अपनी पुत्री अफसाना के साथ डेयरी बूथ के आगे बैठ गई, कुछ ही देर में सुमेर जी मेरे पास आकर बैठ गये व पहले की वार्तानुसार रूपये मांगे तो मैनें अपने पर्स से 10,000 रूपये निकाल कर सुमेर जी को देते हुए कहा कि अभी इतने ही बने हैं, 4000 रूपये बाद में दे दूंगी। यह रूपये सुमेर जी थानेदार ने मेरे से हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें को रफा-दफा करने के लिये रिश्वत के मांगे थे जो मैनें आज रिश्वत के दिये है। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ के मु0न0 233/2024 की पत्रावली थाने से मंगवाकर उसकी प्रमाणित प्रति अलग से प्राप्त की गई। परिवादिया व गवाहान के सामने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-22 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादिया शमीम बानो व आरोपी श्री सुमेर सिंह स0उ0नि0 के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को परिवादिया व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की 02 डीवीडी तैयार की गई जिसमें से एक डीवीडी को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को खुला रखा गया। वॉईस रिकॉर्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को उसके रैपर में डालकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 को हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी सुमेर सिंह के हाथों व जेब धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादिया व आरोपी से पूछताछ का मन् उप अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन से वीडियो तैयार किया गया, जिसको बाद में पैन ड्राईव में डाउनलोड कर सील्ड कर मार्क P-1 अंकित किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर 22 को गवाहन के समक्ष जरीये फर्द नष्ट किया गया। पुलिस थाना सदर चूरू में ट्रैप कार्यवाही सम्पन्न कर परिवादिया शमीम बानो व उसकी पुत्री अफसाना को रूकसत दी

गई तथा मय उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहों व ट्रेप दल सदस्यों के ट्रेप कार्यवाही में जप्त समस्त वजह सबूत हमराह लेकर जरीये सरकारी वाहन व मोटरसाईकिलों से चौकी एसीबी चूरू पहुंचा। दोनों गवाहन को बाद आवश्यक निर्देश रूकसत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत 10,000 रूपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की 06 सील्ड शिशियां, 01 सील्ड शर्ट पैकेट, सील्ड मैमोरी कार्ड, पैन ड्राईव व डीवीडी पैकेट को जरीये हैडकानि0 कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाये गए। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती शमीम बानो पत्नी गुलाम हुसैन निवासी उस्मानाबाद कॉलोनी चूरू के विरूद्ध उसकी पुत्री फिरदौस पत्नी नबाब निवासी सुजानगढ द्वारा उसके सोने के हार को शमीम के पास होने व उसके द्वारा नहीं दिये जाने पर शमीम बानो व दो अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ जिला चूरू में मुकदमा नम्बर 233 दिनांक 07.08.2024 को धारा 406,420,120बी भादस में दर्ज करवाया था जिसकी तफ्तीश श्री सुमेर सिंह स0उ0नि0 द्वारा की जा रही थी। उक्त मुकदमा में आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर एफआर लगाने के लिये आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न परिवादिया शमीम बानो से दिनांक 04.09.2024 को 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं 4,000 रूपये सत्यापन के दौरान परिवादिया से प्राप्त कर 14,000 रूपये और देने की मांग करना तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 20.09.2024 को आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 द्वारा राजकीय भरतीया अस्पताल परिसर चूरू पहुंच परिवादिया से 10,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये गये। आरोपी सुमेर सिंह स0उ0नि0 पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ जिला चूरू का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः श्री सुमेर सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चुरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुमेर सिंह पुत्र स्व. सुल्तान सिंह उम्र 56 वर्ष निवासी ढीलसर पुलिस थाना बिसाउ जिला झुन्झुनू हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली सुजानगढ जिला चूरू के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नरेश गेरा उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 323 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1133-1137 दिनांक 21-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर। 2-जिला पुलिस अधीक्षक चूरू। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** NARESH KUMAR GERA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** MAHAVEER SINGH

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

**Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1968 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**